अध्याय – 8

समीतियों के बारे में जानकारी –

संगठनात्मक परिचय –

म.प्र. देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के बावजूद आजादी के बाद से साक्षरता के क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ था। प्रदेश की साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय साक्षरता की तुलना में कम था एवं प्रदेश में महिलाओं का साक्षरता औसत और भी कम था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सबके लिए शिक्षा पर व्यापक बल दिया गया है। म.प्र. में ''सबके लिए शिक्षा'' के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैकल्पिक शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता थी। इसको दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के अनुरूप शिक्षा से वंचित एवं शिक्षा की मुख्य धारा से अलग हो चुके छात्र–छात्राओं को वापस शिक्षा की मुख्य धारा मे ंजोड़ने हेतु एक लचीली शिक्षा पद्धति के लिए राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जानी थी। म.प्र. मंत्री परिषद् ने दिनांक 28 मार्च 1995 को यह निर्णय लिया एवं म.प्र. में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए म.प्र. राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी।

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड अपनी स्थापना से लेकर आज तक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर परीक्षाओं का आयोजन सफलता पूर्वक करा रहा है। इसमें व्यावसायिक पाठयक्रमों का भी समावेश किया गया है। अपनी स्थापना से आज तक म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से प्रदेश एवं देश के लाखों छात्र–छात्राएं इससे लाभानवित होकर शिक्षा की मुख्या धारा से जुड़े हैं। वर्ष 2016 में माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन की घोषणा दिनांक 12 मई 2016 के परिपालन में माध्यमिक शिक्षा मंडल, म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12 में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ''रूक जाना नहीं'' योजना का समावेश किया गया।

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की साधारण सभा सदस्यों की सूची

01. सभापति — श्री इंदर सिंह परमार, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) म.प्र. शासन।

02. उपसभापति —
1. राज्यमंत्री, शालेय शिक्षा, म.प्र. शासन।
2. राज्यमंत्री, अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति, म.प्र.शासन।

(क) सदस्य (पदेन सदस्य)

01. राज्य शासन के निम्नलिखित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
1. स्कूल शिक्षा।
2. वित्त।
3. आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण।
4. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (जन शक्ति नियोजन)।
5. महिला एवं बाल विकास।
6. पंचायत एवं ग्रामीण विकास।

02. आयुक्त, लोक शिक्षण।
03. आयुक्त, आदिवासी विकास।
04. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल।
05. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र।
06. संचालक, प्रौढ़ शिक्षा।
07. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्
08. प्रबंध संचालक, पाठ्यपुस्तक निगम।
09. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) का एक प्रतिनिधि।
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल।
11. प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल।

(ख) मनोनीत सदस्य

अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले निम्नलिखित श्रेणियों के राज्य शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि

12. व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि 2
13. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्तर के तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं औपचारिकेत्तर शिक्षा से जुड़े कर्मी 3
14. अनुसूचित जाति–जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं विकलांग बच्चों/व्यक्तियों की शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रकार के कार्य करने वाले व्यक्ति 2
15. महिला शिक्षा एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत महिला 2
16. राज्य ओपन स्कूल के क्षेत्रीय/जिला तथा विकास खण्ड स्तर के अधिकारियों/शिक्षकों में से प्रतिनिधि 2
17. स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति (जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया हो) 2

(ग) सदस्य सचिव

श्री प्रभात राज तिवारी, संचालक, म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड, भोपाल

म.प्र. राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड भोपाल

स. क्र.	पद नाम	अधिकारी का नाम	दूरभाष	
			कार्यालय	निवास
1	संचालक	श्री प्रभात राज तिवारी	2671066	2705570
2	उप संचालक	डॉ. संजय पटवा	2671066	